

राष्ट्रीय लोक अदालत बैच सं. 10, रायसिंहनगर  
(न्यायालय:- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1 रायसिंहनगर। )


राकेश बनाम अश्वनी कुमार आदि  
वाद13/2021 जी.सी.एम.एस. : 2021/199  
अन्तर्गत 251ए आरटीएक्ट

09.03.2024

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश), श्रीगंगानगर द्वारा आदेश क्रमांक/एनएलए/2024/17 दिनांक 06.03.2024 के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु गठित की गई बैच सं. 10 के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रैफर किये जाने के परिणामस्वरूप आज यह पत्रावली लोक अदालत बैच के समक्ष पेश हुई।

प्रकरण में वकील मय प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.03.2024 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र नोट-प्रेस करते हुए निवेदन किया गया है कि पक्षकरान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। हम आगे प्रकरण चलाना नहीं चाहते हैं। प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जावे है,

जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बैच को निस्तारण हेतु रैफर की है। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाकर प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली राजस्व न्यायालय को लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



मनजीत सिंह,  
नायब तहसीलदार समेजा  
तहसील रायसिंहनगर।  
(सदस्य)  
लोक अदालत बैच सं. 10  
**सदस्य**  
**राष्ट्रीय लोक अदालत बैच**  
**रायसिंहनगर**

अनिल कुमार शर्मा,  
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.1  
रायसिंहनगर  
(अध्यक्ष)  
लोक अदालत बैच सं. 1

**अध्यक्ष**  
**राष्ट्रीय लोक अदालत बैच**  
**रायसिंहनगर**

